UPAG010146282024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 1, आगरा
पीठासीन अधिकारी– राजेन्द्र प्रसाद, एच.जे.एस.– UP06006
सत्र परीक्षण संख्या–555/2022

राज्य बनाम देवेन्द्र आदि

धारा 376,323,504,506 भा0द0सं0
अपराध सं0 572/2021
थाना ताजगंज, आगरा।

<u>दिनांक 05.03.2025</u>

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व दिनांक पर अभियुक्त सहदेव सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 227 द0प्र0सं0 कागज सं0 8ख वास्ते उन्मोचन व उस पर अभियोजन/वादिया द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कागज सं0 13ख पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. उपरोक्त प्रार्थना पत्र 8ग अन्तर्गत धारा 227 द0प्र0सं0 में प्रार्थी/अभियुक्त सहदेव सिंह की ओर से किया गया कथन सक्षेंप में इस प्रकार है कि सत्र परीक्षण की वादिया श्रीमती उमा देवी है, उसके पुत्र देशराज सिंह उर्फ बन्टू की तलाकशुदा पत्नी है, जिसने दिनांक 17.08.2021 को मु0अ0सं0–572/2021 अन्तर्गत धारा 376, 323, 506 भा0द0सं0 का थाना ताजगंज पर पंजीकृत कराकर उसके बडे पुत्र देवेन्द्र उर्फ पिन्टू को अभियुक्त बनाया गया है। अन्य किसी के विरूद्ध कोई आरोप वादिया श्रीमती उमा देवी द्वारा सन्दर्भित नहीं किया गया है। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त उसके बड़े पुत्र देवेन्द्र एवं उसके व उसकी पत्नी श्रीमती भूरी देवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 में आरोप पत्र सं0–106/2022 प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2024 इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया, जो आरोप पत्र आज भी अस्तित्व में है। दूसरा आरोप पत्र सं0–106ए/2024 सपठित आरोप पत्र सं0–106/2022 जो अभियुक्तगण देवेन्द्र, सहदेव व भूरी देवी के विरूद्ध प्रेषित किया गया था। आरोप पत्र सं0–106ए/2024 में अन्तर्गत धारा 376 भा0द0सं0 में अनुपूरक आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर भी न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया। इस आरोप पत्र में उसके दूसरे पुत्र मनोज कुमार के विरूद्ध भी अनुपूरक आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उसके दोनों पुत्रों के विरूद्ध धारा 376 भा0द0सं0 का

अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं विद्यमान साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं बनता है।. वादिया जो उसके पुत्र देशराज की पत्नी है, का विवाह विच्छेद अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम दिनांक 17.02.2016 को परिवार न्यायालय, आगरा द्वारा किया जा चुका है। उसके पुत्र देशराज ने तलाक का दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि दिनांक 27.06.2004 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह के उपरान्त वादिया प्रथम बार दिनांक 28.06.2004 को उसके निवास बरौली अहीर, शमशाबाद रोड, आगरा पर आयी और सात दिन तक रही और उसके बाद मायके चली गयी और दिनांक 09.04.2012 से लगातार अपने मायके में बिना किसी उचित कारण के रह रही है। विवाह के उपरान्त से ही उसके व उसके परिजनों के विरूद्ध सकारात्मक रूख नहीं अपनाया और सदैव उपेक्षा का वातावरण पैदा किया। विवाह के उपरान्त सात दिन तक उसने कोई दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित नहीं किये। तलाक दावा दिये गये आधारों को सत्य मानते हुये परिवार न्यायालय, आगरा द्वारा दिनांक 17.02.2016 को विवाह विच्छेद कर दिया। विवाह विच्छेद के आदेश से पूर्व ही वादिया श्रीमती उमा देवी अपने मायके में रह रही थी यह उसके घर दिनांक 09.04. 2012 के बाद नहीं रही। इस तरह उसके दोनों पुत्रों में से किसी के विरूद्ध धारा 376 भा0द0सं0 का अपराध नहीं बनता है। इसी प्रकार उसके व उसकी पत्नी श्रीमती भूरी देवी के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 का अपराध नहीं बनता है। इस सम्बन्ध में वादिया श्रीमती उमा देवी की प्र०सू०रि० पर विचार करना अनुकरणीय है, जिसकी पुष्टि प्रथम विवेचक निरीक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह ने अपनी विवेचना से की है। वादिया/पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण विवेचक द्वारा दिनांक 17.08.2021 को अभियोग पंजीकृत होने के बाद कराया था। वादिया ने चिकित्सक से दिनांक 17.08.2021 को यह बताया कि 02 माह पहले देवेन्द्र ने उसके साथ पहली बार बलात्कार किया था, तब से वह उसे धमकाकर उसके लड़के पीयूष को जान से मारने की धमकी देकर उसने उसके साथ 6–7 बार बलात्कार किया है। आखिरी बार दिनांक 29.07.2021 को रात्रि 02.00 बजे बलात्कार किया है। इस बयान यह तथ्य अपने आप झूँठा हो जाता है कि देवेन्द्र ने 2 माह पहले बलात्कार किया था। वादिया लगातार अपने बयानों को बदलकर पूरे परिवार को अपराध में संलिप्त करने का प्रयास कर रही है। विवेचक निरीक्षक के निर्देशन में महिला आरक्षी 4670 पूनम थाना ताजगंज ने धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान लिया, इस बयान में उसने बताया है कि उसकी उम्र करीब 32 वर्ष है उसके दो बच्चे पीयूष उम्र 11 वर्ष तथा बेटी रौनक की उम्र 7 वर्ष है। उसके पति देशराज उर्फ बन्टू कुछ मन्द बुद्धि है। उसके जेठ देवेन्द्र उर्फ पिन्टू उसके साथ करीब दो माह पूर्व से तमन्चे के बल पर बलात्कार करता था। वह जब भी विरोध करती तो

उसका जेठ देवेन्द्र धमकी देता था कि तेरे बेटे पीयूष को गोली मार दूँगा, नहीं तू जैसे मैं रख रहा हूँ, वैसी ही उसके साथ रहती रह। दिनांक 28/29.07.2021 को रात्रि में 02.00 बजे देवेन्द्र उर्फ पिन्टू उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया, विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। सुबह इसकी शिकायत सास–ससुर से की, तो उन्होंने घर से निकाल दिया, तब से वह काफी परेशान है। जब वादिया का दिनांक 17.02.2016 में ही सक्षम न्यायालय से तलाक हो गया और तलाक भी इस आधार पर हुआ कि वह अपने पति से दिनांक 09.04.2012 से अलग रह रही है, उसके 2 सन्तानें है, जो उसी के बयान के अनुसार उसके पुत्र देशराज के संसर्ग से पैदा हुई है। इस तरह इस मामले के चारों अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 376 भा0द0सं0 व धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 का अपराध नहीं बनता है। वादिया का यह कथन कि वह अपने ससुरालीजनों व पति के साथ कुछ कहा सुनी हो गयी थी, जिसके कारण वादिया अपने मायके अपने भाई के साथ रहने चली गयी थी, जिसका समझौता वादिया के चाचा हरवीर सिंह व पीड़िता के भाई राहुल ने उसके गाँव बरौली अहीर जाकर किया, समझौता लिखित में हुआ था, जिस पर वादिया/पीड़िता के चाचा हरवीर सिंह, भाई राहुल, ससुर सहदेव सिंह, जेठ देवेन्द्र यादव, पति देशराज आदि अन्य पंच गवाहों के हस्ताक्षर हैं। यह समझौतानामा 10 रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया। तब से प्रार्थिया श्रीमती उमा देवी बडी राजी खुशी से अपने पति देशराज के साथ ग्राम बरौली अहीर में अपने हिस्से के मकान में रह रही थी। इस समझौतानामा से स्पष्ट है कि कोई पारिवारिक क्लेश अवश्य रहा होगा, लेकिन बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई, समझौतानामा विवेचक के इस निष्कर्ष को झूठा साबित करता है कि उसका पुत्र मनोज सिंह जो वादिया/पीड़िता का देवर है, उसने वादिया के साथ 11–12 वर्ष पहले कोई शारीरिक सम्बन्ध बनाये। विवेचक का यह निष्कर्ष भी झूठा हो जाता है कि उसके पुत्र मनोज द्वारा वादिया/पीड़िता के साथ बलात्कार कारित किया। वादिया का बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 दिनांक 27.08.2021 को अंकित किये गये हैं, जिसमें वादिया ने कहा है कि उसकी शादी को 18 साल हो गये हैं। उसके पति से अपने 02 बच्चे हैं। उसका पति देशराज मन्द बुद्धि का है, जेठ देवेन्द्र और देवर मनोज, ससुर सहदेव हमेशा से उस पर गलत निगाह रखते थे। शादी के बाद से अपनी ससुराल में सभी लोगों के साथ ही रहती हूँ, उसका कमरा अलग है और खाना पीना अलग करती है, मायके वाले उसका सारा खर्च देते हैं। पति मन्द बुद्धि होने के कारण कुछ कमाता नहीं है। ससुर उससे कहता है कि उसके साथ रहेगी तो तेरा सारा खर्चा पानी दूँगा। सास भूरी देवी ने उसके देवर मनोज से मिलकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनवाये। सास कहती थी कि मनोज से बच्चा पैदा हो

जायेगा। अब भी उसका पति उसके साथ सोता था। उसी के आस–पास वो देवर को उसके पास सम्बन्ध बनाने भेज देती थी। देवर की नौकरी लग गयी है, तब से ससुर कहता है कि उसके साथ रह ले। जेठ पिछले 02 महीने से उसके साथ बन्दूक की नोंक पर बलात्कार करता आ रहा है। दिनांक 28.07.2021 को रात्रि में उसके जेठ ने उसके कमरे की लाइट हटा दी और रात में लगभग 02.00 बजे कमरे में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया है। सास–ससुर से शिकायत करती थी तो वह कहते थे कि हम जैसे रखेंगे वैसे रहोगी। उसने दिनांक 28.07.2021 को रात्रि में जेठ की हरकतों को लेकर हंगामा किया और शोर शराबा कर दिया तो जेठ धमकी देता था कि किसी से बोलेगी तो तेरे लड़के को मार देंगे। दिनांक 29.07.2021 की सुबह थाने पर गयी थी। इसी बात से नाराज होकर मेरे ससुर, सास, जेठ व देवर ने घर से निकाल दिया। घर में घुसने नहीं देते हैं। जेठ ने आखिरी बार दिनांक 28/29.07.2021 समय 21:00 बजे (9:00 बजे शाम) जबरजस्ती सम्बन्ध बनाये थे। पीडिता/वादिया का बयान बलात्कार किये जाने के समय में 161 द0प्र0सं0 के बयानों से भिन्न है। वादिया उसके पुत्र देशराज की पत्नी, जिसकी शादी 18–19 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके पुत्रों के विरूद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं बनता है। वादिया ने सिविल जज (जू.डि.) एफ0टी0सी0–1, आगरा के न्यायालय में वाद सं0–45896/2022 श्रीमती उमा देवी बनाम् देशराज उर्फ बन्टू आदि, धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 दायर किया है। इस अभियोग में वादिया श्रीमती उमा देवी ने यह संदर्शित नहीं किया कि वह तलाकशुदा महिला है तथा कब से अपने मायके में रह रही है। वादिया उसके पुत्र देशराज की तलाकशुदा पत्नी है। वह परिवार पर धारा 376 भा0द0सं0 जैसे जघन्य अपराध लगाकर रूपया लेकर एवं सम्पत्ति हड़पने की नियत रखकर राजीनामा करने की सूचनायें आये दिन भिजवाती है। चूंकि इस मामले के किसी भी अभियुक्त द्वारा भा0द0सं0 के अन्तर्गत किसी भी धारा का अपराध कारित नहीं किया है, न अपराध कारित करने का विश्वसनीय साक्ष्य इस मामले में उपलब्ध है। इस तरह सभी अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं 376, 323, 504, 506 भा0द0सं0 से उन्मोचित होने की याचना की गयी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सभी अभियुक्तगण को आरोप से उन्मोचित किये जाने की याचना की गई। प्रार्थनापत्र के समर्थन में सहदेव सिंह का शपथ पत्र 9ख, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 नं0 34903/2024 देवेन्द्र उर्फ पिन्टू व 3 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य, में पारित आदेश दिनांकित 06.01.2025 की सत्यापित प्रति कागज सं0 11ख, वाद सं0 682/2014 देशराज सिंह बनाम श्रीमती उमा यादव में परिवार न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निणर्य दिनांकित 17.02.2016 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गयी।

3. वादिया/पीड़िता की ओर से उक्त प्रार्थनापनत्र का जबाव कागज सं0 13ख में किया गया कथन सक्षेंप में इस प्रकार है कि अभियुक्तगण ने आपराधिक षडयन्त्र के तहत वादिया के ससुराल बरौली अहीर में निवास करते हुए एक पक्षीय तलाक करा लिया, जिसके सम्बन्ध में वादिया ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं0–38/2023 दाखिल की है। यह कहना असत्य है कि वादिया तलाकशुदा पत्नी है। देवेन्द्र उर्फ पिन्टू के द्वारा वादिया के साथ उक्त दिनांक को जो घटना घटित की थी, अन्य अभियुक्तगण द्वारा भी वादिया के साथ कारित अपराध को मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा इकलौते पुत्र की शपथ दिलाकर पूछे जाने पर अपने साथ हुई घटना के बारे में सत्य बताया है। अभियुक्तगण ने उक्त मामले की विवेचना को धन बल पर प्रभावित किये जाने की भरसक प्रयास किये हैं। अभियुक्त देवेन्द्र ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को दिनांक 29.01.2022 को नॉट प्रैस कर लिया। अभियुक्त के परिवार व सगे सम्बन्धी के मौखिक साक्ष्य को मानते हुए वादिया के साथ हुए अपराध का प्रमाणित साक्ष्य होने के बावजूद गलत तरीके से धारा 376 भा0द0सं0 का लोप कर दिया, जिसको क्षेत्राधिकारी द्वारा उक्त विवेचना को पुनः आपत्ति लगाकर वापस किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा ने उक्त मुकदमें की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत आगरा द्वारा करायी, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत द्वारा चार बिन्दुओं पर विवेचना कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया। अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू के मो0 नं0–8445378495 व 7982222095 की सी.डी.आर. व वादिया के मो0 नं0–9720387738 की सी.डी.आर. निकालवाकर विश्वलेषण कर एवं वादिया के आस पास के लोगों से पूछताछ व जानकारी करते हुए गहराई से विवेचना की जाये। विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाने की नीयत से पीडिता के नम्बर की कॉल डिटेल मात्र दिनांक 26.07.2021 से दिनांक 30.07.2021 की सम्मिलित की गयी, जबकि दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 01.10.2021 की सी.डी.आर. व कॉल डिटेल निकलवायी गयी, सम्पूर्ण सी.डी.आर. को विवेचक ने छिपा लिया और अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ पिन्टू को जेल भेजा गया। वादिया द्वारा पुलिस के उच्चाधिकारियों को अभियुक्त मनोज के द्वारा किये गये बलात्कार को प्रमाणित साक्ष्य के सम्बन्ध में पुत्र पीयूष का डी०एन०ए० कराये जाने हेतु आवेदन दिया, जिस पर पुलिस के उच्चाधिकारियों ने विवेचक को अभियुक्त मनोज का डी.एन.ए. कराये जाने हेतु आदेशित किया। अभियुक्त मनोज विवेचक के सूचित किये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त मनोज को दिनांक 04.04.2023 को धारा–160 द0प्र0सं0 की नोटिस अभियुक्त मनोज की यूनिट के अधिकारी को भेजा गया, तब अभियुक्त मनोज व सह अभियुक्तगण को यह स्पष्ट पता था कि पीड़िता के साथ

जबरदस्ती किये गये बलात्कार से ही पुत्र पैदा है। अभियुक्त मनोज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कि०मि०रिट पिटीशन सं0–9974/2023 दाखिल की और उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक जजमेन्ट दिनांक 20.02.2023 अपरना अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरूण फिरोदिया का हवाला देते हुए डी.एन.ए. न कराये जानने की याचना की, जिससे सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त मनोज ने पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना कारित की। दिनांक 12.05.2023 के पारित आदेश में है कि अभियुक्त मनोज के भाई देशराज के अधिवक्ता ने पीड़िता द्वारा स्वेच्छा से अभियुक्त के भाई मनोज के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे व विपक्षी (देशराज) की इच्छा के विरूद्ध विपक्षी के छोटे भाई मनोज के साथ जारता में रही थी। उन्मोचन प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण मनोज, देवेन्द्र सिंह, सहदेव, भूरी देवी पर अपराध विद्यमान साक्ष्य से प्रमाणित है। एक पक्षीय तलाक की जानकारी वादिया को उक्त मुकदमा की घटना की शिकायत किये जाने के बाद तब हुई, जब अभियुक्तगण द्वारा यह कहा गया कि इसका तलाक दिनांक 17.02.2016 को हो चुका है, जबकि अभियुक्त सहदेव ने उक्त तलाक के मुकदमें में एक पक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है और उक्त मुकदमा की विवेचना में अपने पुत्र को दिमागी रूप से अस्वस्थ होने का कथन भी किया है और वादिया के चरित्र पर भी लांछन लगाकर यह शपथपत्र बयान दिया है कि पुत्री उसके पुत्र से पैदा नहीं है, जबकि अभियुक्त देवेन्द्र द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पर अपने हस्तलेख में एक समझौतानामा लिखकर तैयार किया है, जिसमें एक पक्षीय तलाक का कोई जिक्र नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा समझौता को स्वीकार करते हुए यह कहा है कि पीडिता राजी खुशी से अपने पति देशराज के साथ ग्राम बरौली अहीर में अपने हिस्से के मकान में रह रही थी। अभियुक्तगण के द्वारा चालाकी से कराये गये एक पक्षीय तलाक के समय व वाद में भी पीडिता का रहना स्वीकार करते है और अपने ही कथनों में यह भी कहते है कि दिनांक 09.04.2012 से लगातार अपने मायके में निवास किया है। अभियुक्त देवेन्द्र द्वारा वादिया के पुत्र की हत्या करने की धमकी देते हुए तमंचे के बल पर वादिया के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। एक पक्षीय रूप से कराया गया तलाक अभियुक्तगण की चालाकी व वादिया के ससुराल में रहने के प्रमाण पत्रावली पर मौजूद है, जिससे अभियुक्तगण पर आरोप वखूबी साबित होता है। उन्मोचन प्रार्थना पत्र के अन्तिम पंक्तियों में कहीं गयी बातें असत्य व निराधार है। पीड़िता अनपढ़ सीधी सादी महिला है। पीड़िता अभियुक्त मनोज से उम्र में काफी छोटी है। पीडिता की शादी अभियुक्त देवेन्द्र की शादी से भी लगभग 5 वर्ष पूर्व कर ली गयी, जब पीड़िता की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। अभियुक्त मनोज के कुकृत्य को छिपाये जाने हेतु हिन्दू मैथोलोजी का सहारा लिया जाना बडा शर्मनाक है। वादिया

की कॉल डिटेल सी.डी.आर. जो मात्र एक वर्ष की निकली गयी थी, जिसमें वादिया का रात दिन एक ही टॉवर का ग्राम बरौली अहीर का आया है, जिससे वादिया का घर छोडकर एक दिन इधर उधर जाना भी प्रमाणित नहीं है। अभियुक्त सहदेव ने विवेचक को बयान दिया है कि देशराज उर्फ बन्टू मानसिक रूप से थोडा कमजोर है और यह भी बयान दिया है कि देशराज के हिस्से की जमीन को देशराज और पीड़िता दोनों के नाम करने की बात कहीं है। अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2025 का भी समय से अनुपालन नहीं किया है और उक्त कार्यवाही को विलम्बित किये जाने हेतु धारा–227 द.प्र.सं. का सहारा लेकर उन्मोचन प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया गया है। समस्त के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचना प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी। प्रार्थना पत्र वादिया के शपथ पत्र से समर्थित है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि वादिया की शादी अभियुक्त सहदेव सिंह के पुत्र देशराज सिंह उर्फ बन्टू के साथ हुई थी। वादिया का व्यवहार अच्छा न होने के कारण लगातार अपने मायके में रहने के कारण वादिया व अभियुक्त सहदेव सिंह के पुत्र देशराज सिंह उर्फ बन्टू को तलाक हो गया है और तलाक के उपरान्त यह झूँठा मुकदमा सम्पत्ति के लालच में किया गया है। अभियुक्तगण ने वादिया के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

5. वादिया के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

6. अभियोजन तथ्य सक्षेंप में यह है कि वादिया मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना ताजगंज, आगरा पर तहरीर इस आशय की दी गई कि– "वादिया/पीड़िता पत्नी देशराज उर्फ बन्टू निवासी ग्राम बरौली अहीर, थाना ताजगंज, जिला आगरा की निवासिनी है। वादिया का जेठ देवेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र सहदेव निवासी ग्राम बरौली अहीर, थाना ताजगंज, आगरा वादिया के साथ करीब दो माह पूर्व से लगातार तमंचा के बल पर बलात्कार कर रहा है। वादिया जब विरोध करती थी तो जेठ देवेन्द्र उपरोक्त धमकी देता था कि उसके बेटे पीयूष को गोली से मार दूँगा, वादिया लोक लज्जा के भय के कारण सब कुछ सहती रही। दिनांक 29.07.2021 को वादिया के साथ देवेन्द्र ने पुनः बलात्कार किया और जब विरोध किया तो

मारपीट की है। वादिया के घर में ताला लगा दिया और घर से बाहर निकाल दिया। तभी से वादिया खुले आसमान के नीचे रह रही है। घटना की सूचना 112 पर दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, थाने भी गयी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

7. वादिनी की तहरीर पर थाना ताजगंज आगरा पर मु0अ0सं0 572/2021 अन्तर्गत धारा–376, 323, 506 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ पिन्टू, सहदेव व श्रीमती भूरी देवी के विरूद्ध धारा 323, 506, 506 भा0द0सं0 का आरोप पत्र सं0 106/2022 दिनांक 25.03.2022 तैयार किया। उक्त आरोप पत्र को पर्यवेक्षण अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त सदर, आगरा के द्वारा रोका गया तथा उठाये गये विन्दुओं पर अग्रिम विवेचना के आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात विवेचक द्वारा अभियुक्तगण देवेन्द्र, सहदेव, भूरी देवी के विरूद्ध पूर्व किता आरोप पत्र सं0 106/2022 दिनांक 25.03. 2022 के साथ अभियुक्त देवेन्द्र का चालान अन्तर्गत धारा 376 भा0द0सं0 तथा अभियुक्त मनोज का चालान अन्तर्गत धारा 376 भा0द0सं0 जरिये अनुपूरक आरोप पत्र सं0 106ए/2024 दिनांक 14.01.2024 न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 26.07.2024 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

8. द0 प्र0 सं0 की धारा 227 में यह प्रावधान है कि ''यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गयी दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवायी कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।''

9. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता के टाइपशुदा लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र ब्रहमतेज के विरूद्ध मु0अपराध सं0 572/2021, अन्तर्गत धारा 376,323,506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवचेना विभिन्न विवेचकगण द्वारा की गयी। सर्वप्रथम दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं0 106/2022 दिनांकित 25.03.2022, धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण देवेन्द्र, ब्रहमतेज व भूरी देवी के विरूद्ध तैयार करके सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त सदर, आगरा के यहाँ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। उक्त आरोप पत्र व उसके साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात सहायक पुलिस आयुक्त सदर द्वारा कुछ विन्दुओं को इंगित करते हुए अग्रिम विवेचना करने हेतु उसे वापस किया गया। तत्पश्चात इस

प्रकरण की अग्रिम विवेचना की गयी। अग्रिम विवेचन के दौरान सम्बन्धित विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161, 164 द0प्र0सं0 का अवलोकन किया गया तथा इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य अभियुक्तगण देवेन्द्र व मनोज कुमार के मोबाइल नम्बर का सी.डी.आर. लिया गया। विवेचक द्वारा एकत्रित किये गये सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त देवेन्द्र सिंह व मनोज पुत्रगण सहदेव के विरूद्ध धारा 376 भा0द0सं0 के अपराध का साक्ष्य पाया गया। धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पीड़िता द्वारा दिये गये बयान का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

पीड़िता ने उक्त बयान में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उसका पति मन्द बुद्धि है, उसका जेठ देवेन्द्र और देवर मनोज, ससुर सहदेव हमेशा उस पर गलत निगाह रखते थे। पति मन्द बुद्धि होने के कारण कुछ कमाता नहीं है। उसका ससुर उससे कहता है कि उसके साथ रहेगी तो तेरा सारा खर्चा पानी दूँगा। उसकी सास भूरी देवी ने उसके देवर मनोज के साथ मिलकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध मनोज से बनवाये थे, सास कहती थी कि मनोज से बच्चे पैदा हो जायेंगे। अब भी उसका पति उसके साथ सोता था, उसी के आस पास वह देवर को उसके पास सम्बन्ध बनाने भेज देती थी। देवर की नौकरी लग गयी है। तब से ससुर कहता है कि उसके साथ रह ले, उसका जेठ पिछले दो महीने से बन्दूक की नोंक पर बलात्कार करता आ रहा है। दिनांक 28.07.2021 को रात में उसके जेठ ने उसके कमरे की लाइट हटा दी और रात में लगभग 02.00 बजे उसके कमरे में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। उसने अपने सास ससुर से शिकायत की थी, तो वह कहते थे कि हम जैसे रखेगें वैसे रहेगी। उसने 28.07.2021 को रात में जेठ की हरकतों को लेकर हँगामा और शोर शराबा कर दिया, जेठ उसे धमकी देता था कि किसी से बोलेगी तो तेरे लड़के को मार देगं। दिनांक 29.07.2021 को सुबह थाने पर गयी थी। इसी बात से नाराज होकर उसके ससुर, सास, जेठ, देवर ने घर से निकाल दिया है। उसे घर में नहीं घुसने देते हैं।

10. सम्बन्धित विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर पूर्व में तैयार किये गये आरोप पत्र सं0 106/2022 दिनांकित 25.03.2022 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 अभियुक्तगण देवेन्द्र(जेठ), सहदेव(ससुर) व भूरी देवी (सास) के साथ अनुपूरक आरोप पत्र सं0 106ए/2024 दिनांकित 14.01.2024 अन्तर्गत धारा 376 भा0द0सं0 अभियुक्तगण देवेन्द्र(जेठ) व मनोज(देवर) पुत्रगण सहदेव सिंह के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिलिपि प्रदान करने के पश्चात सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया है।

11. अभियुक्त के उन्मोचन के विन्दु पर माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाऐं प्रतिपादित की गयी हैं, जो क्रमशः निम्नवत् हैः–

1. *ए.आई.आर.2013 सुप्रीम कोर्ट 52 सौराजसिंह अहलावत एवं अन्य–बनाम–स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश* में माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय की विधिक व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन कर इस विन्दु पर समाधान करना चाहिए कि क्या यह मानने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है।

2.*सांघी ब्रादर्स बनाम संजय चौधरी –ए आई आर 2009 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ–09* के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "यदि तथाकथित अपराध कारित होने एवं उसमें अभियुक्त की संलिप्तता के सम्बन्ध में दृढ़ सन्देह हो, तब भी न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार होता है। इस स्तर पर उक्त अपराध के अन्तर्गत अभियुक्तगण की दोष सिद्धि के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त किया जाना आवश्यक नहीं है।"

3. *मध्य प्रदेश राज्य बनाम शीतला सहाय ए आई आर 2009 सुप्रीम कोर्ट सप्लीमेन्ट्री पृष्ठ–1744* के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "यदि पत्रावली पर विद्यमान समस्त सामग्री के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि दो दृष्टिकोण सम्भव हैं, तब आरोप विरचित किया जा सकता है। परन्तु जहाँ ऐसा न हो, बल्कि एक ही दृष्टिकोण लिया जा सकना सम्भव हो कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तब न्यायालय अभियुक्त को सम्बन्धित आरोप के अन्तर्गत विचारण हेतु बाध्य नही करेगा।"

12. यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय को सिर्फ यह देखना होता है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है अथवा नहीं। इस स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना होता है कि क्या विवेचक द्वारा एकत्रित किया गया साक्ष्य अभियुक्त को दोष सिद्ध व दण्डित करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा इस प्रकरण में जो साक्ष्य एकत्रित किया गया है व जिन–जिन धाराओं में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उन– उन धाराओं में आरोप विरचित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। इस स्तर पर अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त करने योग्य

पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्त सहदेव सिंह का प्रार्थनापत्र कागज सं0 8ख अर्न्तगत धारा 227 द0प्र0सं0 वास्ते उन्मोचन निरस्त किया जाता है। तदनुसार वादिनी की आपत्ति 13ख निस्तारित की जाती हैं।

पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 04.04.2025 को पेश हो। अभियुक्तगण उक्त तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।

ह0

दिनांक 05.03.2025

अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया0 सं01,
आगरा।